DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Tuesday, 24th March, 2015/03 Chaitra, 1937 (Saka)

No. 08

Election of three representatives of Delhi Assembly to DDA Sub:

Hon'ble members are informed that as per Section 3(3) (f) of the Delhi Development Act, 1957, three members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi are required to be elected for representation in DDA by means of a single transferable vote by the Members of the Legislative Assembly from amongst themselves.

For this purpose, the following schedule has been fixed for receiving the nomination, withdrawal of candidature and for holding election, if necessary: -

Last date for filing	Last date for withdrawal	Date of election, if necessary
nominations 26.03.2015 upto 5.00 PM (Thursday)	30.03.2015 upto 5.00 PM (Monday)	31.03.2015 (Tuesday) from 03.00 P.M. to 05.00 PM in MLA Lounge No 1, Old Sectt. Delhi.

L.R. GARG SECRETARY

Note:

Necessary forms are available with the Notice Office of the Assembly Secretariat.

No Nomination form will be entertained after the stipulated date and time. 1. 2.

दिल्ली विधान समा

तिधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी मंगलवार, 24 मार्च, 2015 / 03 चैत्र, 1937 (शक)

संख्या-08

दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए दिल्ली विधान सभा के तीन प्रतिनिधियों का निर्वाचन

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(एफ) के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व हेतु विधान समा के सदस्यों के द्वारा स्वयं अपने में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान समा के तीन सदस्यों का निर्वाचन अपेक्षित है।

इस प्रयोजन हेतु नामांकन प्राप्त करने, उम्मीदवारी की वापसी और यदि आवश्यक हो, तो निर्वाचन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:—

नामांकन भरने की अंतिम	नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	निर्वाचन की तिथि, यदि आवश्यक हो, तो
26 मार्च, 2015 अपराह्न 5.00 बजे तक (वृहस्पतिवार)	30 मार्च, 2015 अपराहन	31 मार्च, 2015 अप. 3.00 बजे से 5.00 बजे तक सदस्य लाउंज नं.—1, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

एल.आर. गर्ग सचिव

टिप्पणी:

1. आवश्यक प्रपत्र सूचना कार्यालय में उपलब्ध है।

2. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई मी नामांकन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।